संख्या-698/2021/आई/120044/2323/41-2021-71(सा0)/2020

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 07 दिसम्बर 2021**

विषय:- उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 में कार्यरत वेटर्स / रूम ब्वाय पदधारकों की पदोन्नति हेतु निगम में तृतीय श्रेणी में अवस्थापित फ्रण्ट आफिस असिस्टेन्ट/ हाउस कीपिंग असिस्टेन्ट/ फूड एवं बेवरेज असिस्टेन्ट (वेतनमान रू0 -9300 -34800 ग्रेड पे- 2800) के सृजित पदों के सापेक्ष 33 प्रतिशत अर्थात् 20 (बीस) पदों को समर्पित करते हुये स्टीवर्ड के 20 पदों (वेतनमान रू0-5200-20200 ग्रेड पे -1900) में सृजित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4651/का0-3-वेटर्स संवर्ग/20 दिनांक 5-11-2020 पत्र सं0-5670 /का0-3-वेटर्स संवर्ग/21 दिनांक 04-03-2021 एवं पत्र सं0-301/का0-3-वेटर्स संवर्ग/2021 दिनांक 22-06-2021 एवं पत्र सं0-760/वेटर्स संवर्ग/2021 दिनांक 16-08-2021 का संलग्नकों सहित सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लिखित पत्रों के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि :-

(क) निगम में वेटर्स/रूम ब्वायस संवर्ग में पदोन्नति के अवसर न होने के कारण इन संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों को लगभग 25-30 वर्ष की लम्बी एवं संतोषप्रद सेवा के उपरान्त भी एक भी पदोन्नति न मिलने के कारण इन कार्मिकों में हताशा व्याप्त है। वस्तुस्थिति यह है कि निगम की प्रमोशन पालिसी में स्टीवर्ड पद का प्रविधान है और उसमें भर्ती की व्यवस्था भी निर्धारित है किन्तु स्टीवर्ड का कोई पद सृजित नहीं है, जिसके कारण वेटर्स/रूम ब्वायस संवर्ग के कार्मिकों के लिये स्टीवर्ड एवं उससे आगे के पदों पर पदोन्न्ति का मार्ग अवरूद्ध है।

(ख) निगम की प्रमोशन पॉलिसी में फ्रन्ट आफिस असिस्टेन्ट , हाउस कीपिंग असिस्टेन्ट एवं फूड एण्ड बेवरेज असिस्टेन्ट के पदों पर चयन 50: 50 प्रतिशत के आधार पर सीधी भर्ती तथा स्टीवर्ड पद धारकों में पदोन्नति द्वारा किया जाना निर्धारित है।

(2) इसी प्रकार प्रमोशन पॉलिसी में स्टीवर्ड पद हेतु चयन के लिए निम्नानुसार व्यवस्था हैः-

Method of Selection of Stewards

By Promotion from amongst Captains/Barman/Room Boys and Waiters possessing qualifications of Intermediate or certificate in Restaurant or Centeen Service or certificate in House Keeping and having ten years experience in the Corporation.

(ग) परन्तु प्रमोशन पॉलिसी में स्टीवर्ड पद के सम्बन्ध में सम्पूर्ण व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी पद सृजित न होने के कारण पात्र कार्मिकों में से इस पद पर परोन्नति किया जाना सम्भव नहीं हुआ है। निगम के कैप्टन, बारमैन, रूम ब्वाय तथा वेटर्स के वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड पे -1800 में कुल 199 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष 76 पद भरे हैं।

(घ) निगम में कार्यरत वेटर्स/रूम ब्वाय पदधारकों की प्रोन्नति की आवश्यकता के दृष्टिगत निगम के निदेशक मण्डल द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुमोदित प्रस्ताव क्रम में निगम में अवस्थापित फ्रन्ट आफिस असिस्टेन्ट, हाउस कीपिंग असिस्टेन्ट एवं फूड एण्ड बे्रवरेज असिस्टेन्ट-तीनों संवर्गों से 33 प्रतिशत पद डि-ग्रेड करते हुए फ्रन्ट आफिस असिस्टेन्ट के सृजित 40 पदों के सापेक्ष हाउस कीपिंग असिस्टेन्ट के सृजित 08 पदों के सापेक्ष 03 एवं फूड एण्ड बेवरेज असिस्टेन्ट के सृजित 11 पदों के सापेक्ष 04 कुल 20 पदों को स्टीवर्ड के पद वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड पे 1900 में सृजित करने का प्रस्ताव है। यह भी उल्लेखनीय है कि इन तीनों संवर्गों में क्रमशः 35, 8 एवं 10 पद रिक्त हैं।

(ड) प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार उपर्युक्तानुसार 20 पदों को स्टीवर्ड के पद में डाउनग्रेड कर सृजित किये जाने से निगम में सृजित कुल 898 पदों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और न ही कोई व्ययभार अतिरिक्त रूप से वहन करना होगा। अतः उक्तानुसार निगम में अवस्थापित फ्रन्ट आफिस असिस्टेन्ट हाउस कीपिंग असिस्टेन्ट एवं फूड एण्ड बे्रवरेज असिस्टेन्ट हाउस कीपिंग असिस्टेन्ट एवं फूड एण्ड बे्रवरेज असिस्टेन्ट-तीनों संवर्गों से 33 प्रतिशत पद डि-ग्रेड करते हुए फ्रन्ट आफिस असिस्टेन्ट के सृजित 40 पदों के सापेक्ष 13 हाउस कीपिंग असिस्टेन्ट के सृजित 08 पदों के सापेक्ष 3 एवं फूड एण्ड बे्रवरेज असिस्टेन्ट के सृजित 11 पदों के सापेक्ष 04 कुल 20 पदों को स्टीवर्ड के पद वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड पे 1900 में डाउनग्रेड करने के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- **<u>उक्त पृष्ठभूमि में</u>** उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 द्वारा निदेशक मण्डल से प्रस्ताव पारित करते हुये निम्नांकित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया :-

पद का नाम	वेतनमान	कुल पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	समर्पण हेतु प्रस्तावित संख्या	सृजन हेतु प्रस्तावित
फ्रन्ट आफिस असिस्टेन्ट	5200-20200 ग्रेड पे 2800	40	04	36	13	
फूड एण्ड बेवेरेज असिस्टेन्ट	5200-20200 ग्रेड पे 2800	11	01	10	04	
हाउस कीपिंग असिस्टेन्ट	5200-20200 ग्रेड पे 2800	08	01	07	03	
स्टीवर्ड	5200-20200 ग्रेड पे 1900	00	00	00	00	20
कुल		59	6	53	20	20

4- इस प्रकार प्राप्त वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड पे 2800 के कुल 20 पद के समर्पण व उससे निम्न वेतन रू0 5200-20200 ग्रेड पे 1900 में स्टीवर्ड के उतने ही अर्थात 20 पदों के सृजन का प्रस्ताव निगम द्वारा प्रेषित किया गया है और यह भी सूचित किया गया है कि स्टीवर्ड के इन पदों को पोषक संवर्ग वेटर्स/रूम ब्वाय पदधारकों में से निगम की प्रोमोशन पॉलिसी के अनुसार नियमानुसार प्रोन्नति के द्वारा भरा जा सकेगा। यह भी अवगत कराया गया है कि उक्तानुसार 20 पदों को स्टीवर्ड के पद वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड पे 1900 में सृजित किये जाने पर निगम में सृजित कुल 898 पदों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और न ही कोई व्ययभार अतिरिक्त रूप से वहन करना होगा।

5- अतः उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के प्रसताव क्रम में निगम में कार्यरत फ्रन्ट आफिस असिस्टेन्ट के 40, हाउस कीपिंग असिस्टेन्ट के 08 एवं फूड एड बेबरेज असिस्टेन्ट के 11 पद अर्थात कुल 59 पदों (वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे 2800 में सृजित है) के 33 प्रतिशत (20) पदों को अभ्यर्पित** (surrender) **करते हुए वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड पे 1900 में स्टीवर्ड के 20 पद नियमानुसार सृजित किये जाने के हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उपरोक्त प्रस्तर-5 पर प्रदान की गई अनुमति के क्रम में उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 द्वारा समय समय पर जारी शासनादेशों एवं नियमों के अधीन अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-829/दस-2021 दिनांक 07.12.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महानिदेशक पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ।
4- महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय,/ उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 /वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 ,उ0प्र0 शासन।
7- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
8- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।